Success Story Of The Week

श्रीमती कल्पना, नोयडा, हरियाणा (परिवर्तित नाम) ने आयोग में दो-तीन माह पहले आयोग मे श्री कमल (परिवर्तित नाम) जिसके साथ मन्दिर में शादी कर ली तथा उसके बाद उसे एक बच्ची हुई। बच्ची होने के बाद से ही कमल ने उन्हे छोड दिया जिस पर आयोग द्वारा दोनो पक्षो द्वारा आयोग में समझाइश हेतु बुलाकर समझाइश की गई तेा कमल ने आयोग को आश्वास्त किया कि बच्ची की पढाई लिखाई हेतु, शादी- विवाह एंव भरण पोषण के बतौर आयोग के समक्ष बीस लाख रूपये का डी.डी. प्रार्थीया के नाम बनावाकर दे देगा।

2. श्रीमती पारूल, भीलवाडा (परिवर्तित नाम) एक महीने पहले आयोग में शिकायत पेश कर बताया कि किशोर (परिवर्तित नाम) ने प्रार्थीया के साथ शादी का झासा देकर शारीरिक संबध बनाता रहा और अंत मे शादी से मना कर दिया तथा किसी दूसरी लडकी से उसके माता पिता द्वारा शादी पक्की कर दी। जिसकी प्रार्थीया को जानकारी होने पर आयोग में गुहार लगाई जिस पर आयोग द्वारा दोनो पक्षो को समझाइश हेतु बुलाया गया और श्री किशोर मीणा व उसके माता पिता की समझाइश की तो उन्होने पारूल से शादी करने हेतु हां भरी और एक महीने बाद आयोग को सूचित करने हेतु कहा गया तो एक महीने पश्चात पारूल ने आयोग में प्रार्थना पत्र स्वंय व किशोर मीणा द्वारा लिखित में दिया कि हमने आर्य समाज में शादी कर ली है और दोनो राजी खुशी रह रहे है।